

# फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

स्वसिंह






विपक्षी


अपरसिंह


कदमा


वाफ

पत्रावली संख्या 113/25 सन

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>27/5/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>वा.पत्र 01R10CPC/वा.पत्र 01.4707R11CPC</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>25/5/25</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>25/5/25</u> को पेश हो।  (SDO) मावली</p>	
<p>25/6/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उप। उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने/शोक सभा कर न्यायिक कार्य स्थगित रखने/अधिकारी जी आज अवकाश/ भ्रमण/मीटिंग में पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश के क्रम में दिनांक <u>18/8/25</u> को पेश हो।  210</p>	
<p>18/08/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>वा.पत्र 01R10CPC/वा.पत्र 01.4707R11CPC</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>13/10/25</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>13/10/25</u> को पेश हो।  (SDO) मावली</p>	
<p>13/10/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>वा.पत्र 01R10CPC/वा.पत्र 01.4707R11CPC</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>15/11/25</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>15/11/25</u> को पेश हो।  (SDO) मावली</p>	
<p>18/11/25 वकुलाय वादी/प्रतिवादी उप <u>वा.पत्र 01R10CPC/वा.पत्र 01.4707R11CPC</u> के लिये मौका चाहते है। अतः <u>15/12/25</u> अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. <u>15/12/25</u> को पेश हो।  (SDO) मावली</p>	

15/12/25  
वकुलम वादी/प्रतिवादी उप ला.वा.क. 10727/21.4701R10CPC/07R11CPC  
के लिये मौका चाहते है। अतः अतः स्वतः अंकी शर्त 42  
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 15/1/26  
को पेश हो।  
  
(SDO) मावली

15/1/26  
वकुलम वादी/प्रतिवादी उप ला.वा.क. 10727/21.4701R10CPC/07R11CPC  
के लिये मौका चाहते है। अतः अतः स्वतः अंकी शर्त 42  
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 19/3/26  
को पेश हो।  
  
(SDO) मावली

19/3/26  
वकुलम वादी/प्रतिवादी उप ला.वा.क. 10727/21.4701R10CPC/07R11CPC  
के लिये मौका चाहते है। अतः अतः स्वतः अंकी शर्त 42  
अवसर दिया जाकर पत्रावली दि 14/5/26  
को पेश हो।  
  
(SDO) मावली

14/5/26

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान् अनुपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान् को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय साँघ 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं पक्षकारान् एवं उनके अधिवक्ता अद्य तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण एवं अधिवक्ता प्रतिवादी मय स्वयं प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद एवं प्रतिवादी का प्रतिवाद अहम लगरी अहम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।  
निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
(SDO) मावली